जून – अगस्त, 1991 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 31 जुलाई, 1991 (श्रावण 9, 1913)

समय 10.30 बजे

1– प्रश्नोत्तर.

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2– नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री लक्ष्मीनारायण यादव, सदस्य, प्रदेश शासन द्वारा कीटनाशक दवाईयों की खरीदी में की जा रही अनियमितताओं की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री मदन सिंह डहरिया, सदस्य, बिलासपुर जिले की लाल खदान स्थित स्पीनिंग मिल बन्द होने से श्रमिकों में बेरोजगारी की उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री, श्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री गोविन्द शर्मा, सदस्य, पूर्व निमाड़ जिले के सहकारी बैंक की समितियों द्वारा कृषकों से ऋण पत्रक न भरवाए जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री आरिफ अकील, जालम सिंह पटेल, सदस्य, नर्मदा नदी पर निर्मित खलघाट पुल पर दरार पड़ने से आवागमन अवरूद्ध होने की उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3– याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) डा. गोविन्द सिंह सदस्य –

(क) भिण्ड के ग्राम सुजानपुरा में हैण्डपम्प लगाये जाने,
(ख) ग्राम छान में खरन्जा एवं नाली निर्माण कराने,
(ग) ग्राम टोला में स्कूल भवन निर्माण कराने,
(घ) ग्राम जाखोली में पशु चिकित्सालय खोले जाने,

(2) श्री विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, सदस्य –

(क) गुढ़ के ग्राम बम्हनगवां (कस्तरी) में अस्पताल खोले जाने,
(ख) गुढ़ के ग्राम बम्हनगवां में कन्या शाला खोले जाने,
(ग) गुढ़ के ग्राम शिवपुरा बाणगंगा यादव टोला में मार्ग निर्माण कराने,

(3) श्री रामखिलावन सिंह, सदस्य–

(क) सरगुजा के ग्राम सहनपुर–बटई केला के बीच दो पुलों का निर्माण कराने,
(ख) सीतापुर के ग्राम खड़ादोरना एवं कुनकुरीकलां में हेण्डपंप लगाने,

(4) श्री अशोक शुक्ला, सदस्य, मंदिर के पुजारियों का वेतन शासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार दिये जाने, तथा

(5) श्री मनीष कुंजाम, सदस्य, विधान सभा क्षेत्र कोन्टा के ग्राम किंदरवाड़ा की बाख नदी पर पुलिया निर्माण कराने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

4– शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री सुधाकर बापट, राज्यमंत्री, परिवहन, मध्यप्रदेश मोटर परिवहन यानों पर पथकर का उद्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1991 (क्रमांक 19 सन् 1991) को पुरःस्थापन करने की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

1 घन्टा — (2) श्री सुधाकर बापट, राज्यमंत्री, परिवहन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान विधेयक 1991 (क्रमांक 17 सन् 1991) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

5– नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.

1 घन्टा 30 मिनिट — (1) बालाघाट जिले में नक्सलवादियों द्वारा की जा रही आपराधिक गतिविधियों के संबंध में सर्वश्री मोतीलाल वोरा/चन्द्रशेखर साहू सदस्य चर्चा उठायेंगे.

1 घन्टा — (2) प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में कृषकों को खाद एवं बीज उपलब्ध न हो पाने के संबंध में सर्वश्री शिवराज सिंह चौहान/राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल/नन्द किशोर खत्री/ मदन लाल त्यागी सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक 30 जुलाई 1991

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा